

ਫੁੱਟਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾ ਏਕ ਸਮਾਨ ਔਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੇਂ ਮਹਾਂ ਗਯਾ ਸ਼ੋਰ

झारखण्ड की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक खलबली मच गयी है। मनरेणा के सहारे अवैध खनन और मनी लाइंग की जांच से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में आरोप-प्रत्यारोप के बाण चल रहे हैं। एक तरफ विपक्ष ट्रिपल पी के बहाने मुख्यमंत्री को घेरने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ सरयू राय ने ट्रिपल आर की चर्चा कर खुबर दास को भी लपेटे में ले लिया है। आज की यह मौजूदा स्थिति है। वैसे इडी की एट्री ने तो झारखण्ड में पहले से ही सियासी तापमान बढ़ा दिया था। झारखण्ड में सरकार गठन के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सौरेन ने यूपीए गंठबधन का मजबूत वट वृक्ष तैयार किया था। वह लगातार आगे बढ़ रहे थे कि आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल, सत्ता के गलियारों में दलाली के लिए मशहूर प्रेम प्रकाश, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी ने उस वट वृक्ष को हिलाना शुरू कर दिया।



सिंघल को खान विभाग में पदस्थापित करने के कारणों के अलावा प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के नाम आवंटित दो एके-47 और 60 गोलियों का मिलना शामिल है। सबसे बड़ा आधार जो माना जा रहा है, वह है झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का इडी को दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की सत्ता तक पहुंच के बारे में बताया है।

मैं इडी से घबराता
नहीं हूँ : हेमंत सोरेन

पहल इडा के समन का बात। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर दिया है। इडी ने मुख्यमंत्री को 3 नवंबर को 11:30 बजे रांची स्थित इडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। 3 तारीख की पूछताछ से पहले 2 नवंबर की शाम को महागढ़बंधन के विधायकों की बैठक बुलायी गयी। जेएमएम, कांग्रेस और राजद विधायकों को तत्काल रांची पहुंचने का आदेश दिया गया। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम का सामना करने के लिए रणनीतियां बनायी गयीं। इधर मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही इडी ने झारखंड पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र लिख दिया। इसमें तीन नवंबर को इडी कार्यालय में सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है।

समन जारी करने का आधार क्या है?

मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा अन्य कई मामले हैं। इसमें मनी लार्डिंग के आरोप में फंसी आइप्पस अधिकारी प्रजा जर छाप का नुकसान पहुँचाने का कोशिश की जा रही है। अगर उनके ये करने से हो गया, तब तो कहानी खत्म। विरोधियों की तरफ इशारा करते हुए सीएम ने कहा, विपक्षी राजनीतिक रूप से नहीं सके, तो इस तरह प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल एटम बम का लिफाफा लेकर घमते हैं, बम तो नहीं फोड़ते,

राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल, सीएम हेमंत ने दिया धन्यवाद



आजाद सिपाही संवाददाता
रंची। झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा पदी मुर्मू शामिल होंगी। उन्होंने राज्य सरकार के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बारे में टिवट करते हुए लिखा है कि 'लेस्ट मोमेंट

10 11

मोरबी हादसे से धूमधारी शासित राज्यों में उत्तराखण्ड का अजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इडी के समन के बाद झारखण्ड की राजनीति गरमा गयी है। पश्च विवक्ष में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर सीधा निशाना साधा है। राजेश ठाकुर ने कहा कि मोरबी की हृदय विदारक घटना और गुजरात में भ्रष्टाचार की वजह से कई लोगों की जाने चली गयी। इससे ध्यान भटकाने के लिए



उन्होंने कहा कि इडी के समन और राज्यपाल के बयान का संबंध क्या है। राजेश ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पहले राज्यपाल ने कहा था कि एटम बम फटेगा अब लगता है कहीं ना कहीं उनका बयान इसी संदर्भ में था। राजेश ठाकुर ने कहा कि एक निर्वाचित लोकप्रिय सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी बम डिफ्यूज किया है और आगे भी करेगी।

उन्होंने कहा कि इडी के समन और राज्यपाल के बयान का संबंध क्या है। राजेश ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पहले राज्यपाल ने कहा था कि एटम बम फटेगा अब लगता है कहीं ना कहीं उनका बयान इसी संदर्भ में था। राजेश ठाकुर ने कहा कि एक निर्वाचित लोकप्रिय सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी बम फिर्यूज किया है और आगे भी करेगी।

मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों में इडी, सीबीआई एकिटव : राजेश ठाकुर

पूजा सिंघल की हिरासत अवधि बढ़ी
पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और
बच्चे पर आरोप गठित होगा

आजाद सिंघारी संवाददाता
रांची। अवैध खनन एवं टेंडर
मैनेज कर 1000 करोड़ रुपये से
अधिक का मनी लाइंग करने के
आरोपित मस्त्रवंती के बरहेट

विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव पर आरोप गठित किया जायेगा। इसके लिए इडी की विशेष अदालत ने 5 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले इडी ने तीनों के खिलाफ जांच पूरी करते हुए 16 सितंबर को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद से तीनों की मुश्किल बढ़ गयी हैं। तीनों की ओर से याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगायी गयी है। प्रेम प्रकाश को अदालत से राहत नहीं मिली है। इडी कोर्ट ने पूर्व में उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी बच्चू यादव की भी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई लंबित है। बता दें कि पंकज 19 जुलाई से, प्रेम प्रकाश 25 अगस्त से एवं बच्चू 4 अगस्त से न्यायिक हिरासत में हैं।

नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें मुख्यमंत्री : सांसद संजय सेठ



आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भारतीय राजनीतिक इतिहास में संभवत यह पहली घटना है, जब किसी मुख्यमंत्री को किसी एंजेसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाना, यह लोकतात्प्रिक इतिहास की काली घटना है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। उक्त बाते रांची के सांसद संजय सेठ ने एक बयान जारी कर कही। श्री सेठ ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोग भ्रष्टाचार के

**सीएम हेमंत
से रांची पहुंच**

वाली यूपीए सरकार में हुआ है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी जांच एजेंसी का सम्मन मिलना, यह प्रमाणित करता है कि इस व्यष्टिचार की कहानी में मेरे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने निष्ठा, सुचिता और नैतिकता के साथ जिस संविधान की शपथ ली है। यह उस संविधान का अपमान है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। देश की न्याय प्रक्रिया, देश की कानून व्यवस्था और देश के न्यायालय पर विश्वास जतायें। एजेंसियों को जांच में सहयोग करें।

सीएम हेमंत से पूछताछ के लिए दिल्ली से गंधी पहुंचे हड्डी के संयक्त निदेशक

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। करीब 1000 करोड़
अवैध खनन मामले में म
लाइंग के तहत अनुसंधान व
रही इडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरें
को समन कर 3 नवंबर ब

कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा है। उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली से खासतौर पर इडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज बुधवार को रांची पहुंचे। इडी ने विशेष सदेशवाहक के जरिए मुख्यमंत्री को समन भेजा है। संभावना है कि मुख्यमंत्री इडी के समन के विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं। विधि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद वे इस संबंध में निर्णय लेंगे।

संपादकीय

टू फिंगर टेस्ट तकाल रुके

सु प्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर रेप सरवाइरस का टू फिंगर टेस्ट किये जाने पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि ऐसा करने वालों को कदाचार का दोषी माना जायेगा। हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार रोके जाने के बावजूद देश में यह प्रचलन बना हुआ है। टू फिंगर टेस्ट में महिला के प्राइवेट पार्ट में दो उंगलियां डालकर देखा जाता है कि किंहीं वह यौन संबंधों की आदी तो नहीं, लेकिन यह तरीका न केवल अवैज्ञानिक और अनानुभवक है बल्कि महिला को निजता और गरिमा का भी हनन करता है। साल 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कह दिया था कि टू फिंगर टेस्ट रेप सरवाइरस महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके एक तरफ रेप का दायरा बढ़ाया हुआ पुष्प जनरों के अतिरिक्त पैनेट्रेशन के अन्य तरीकों को संज्ञान में लिया गया, तो दूसरी तरफ यह भी साफ किया गया कि सहमति के सवाल पर विचार करते हुए महिला के यौन व्यवहार की पृथक्षमि कोई मायने नहीं रखती। 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, व्योकि यौन हिंसा के मामलों में इसका

2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, व्योकि यौन हिंसा के मामलों में इसका कोई मतलब नहीं बनता। बायजूद इन सबके, देश में यह न केवल जारी है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है।

स्वास्थ्याविक ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ यह भी साफ किया गया कि तरीकों को संज्ञान में लिया गया, तो दूसरी तरफ यह भी साफ किया गया कि सहमति के सवाल पर विचार करते हुए महिला के यौन व्यवहार की पृथक्षमि कोई मायने नहीं रखती। 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, व्योकि यौन हिंसा के मामलों में इसका

कोई मतलब नहीं बनता। बायजूद इन सबके, देश में यह न केवल जारी है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है।

स्वास्थ्याविक ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ यह भी साफ किया गया कि तरीकों को संज्ञान में लिया गया, तो दूसरी तरफ यह भी साफ किया गया कि सहमति के सवाल पर विचार करते हुए महिला के यौन व्यवहार की पृथक्षमि कोई मायने नहीं रखती। 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, व्योकि यौन हिंसा के मामलों में इसका

अभिमत आजाद सिपाही

वैश्वीकृत दुनिया में हमें धान की पराली, अपनी स्थानीय समस्या, का वैरिक समाधान तलाशने के प्रयास करने होंगे। यौन, किलीपीस और मिस जैसे घाव उत्पादक देश भी अपने यहां के किसानों पर लेंगे। पराली जलाने पर प्रतिक्रिया करते हुए विकल्प देखना चाहिए।

ब्लेम गेम की बजाय पराली का स्थायी समाधान जरूरी

डॉ अमृत सागर मित्तल

दीवाली के अगले कुछ दिनों से धूंध के धूंधलके से ढकी लिली और इसके आसपास के इलाकों में मटमेल बादलों की ओर में सूरज की रोशनी भी मद्दम पड़ गयी। कई सालों से आलम यह है गायब गुलाबी ठंड की जगह धूंध से गुर्ही सर्दियों की दस्तक जहां आंधे जला रही है, वहीं सासे भी फूलती है। ठीकरा हर बार की तरह, बेबस किसानों के पराली जलाने पर फोड़ दिया जाता है।

एक दूसरे पर ब्लेम गेम में उलझे हमारे नीति निर्धारक मिलजुल कर पराली से निपटने के स्थायी समाधान की ओर आगे नहीं बढ़ पाये। कोई दो राय नहीं कि दीवाली की आपावधि के साथ खेतों में धान की कटाई के बाद आग की खेत चाही पराली हर साल देश की राजधानी और इसके साथ लगते इलाकों की ही नहीं, बल्कि आसपास के कई राज्यों की आवो-हवा खराब कर रही है। इन दिनों दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एम्यूआई) 400 से ऊपर होना पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। पंजाब एवं हरियाणा भी अचूते नहीं रहे, यहां की भी कई शहरों का एक्यूआई 200 के पार है।

हमारे नीति निर्धारकों की नजरों में दोषी पंजाब एवं हरियाणा के किसान हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। पराली को लेकर यह धारणा बना दी गयी है कि इसे जलाते जलाते बक्तव्य किसान दूसरों की परावाह नहीं करते, जबकि हकीकत यह है कि इसके प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

जबकि हकीकत यह है कि इसके

सूची
ब्लॉक ने पंजाब और हरियाणा के स्कूलों से बढ़ाया है कि ये छोटे और बड़े लोगों को पराली के प्रबंधन के लिए 100 रुपये प्री वितान नहीं देते।

जबकि हकीकत यह है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए मशीनों पर समिलिती की जो योजना भी बढ़ता है। पराली के बढ़ावर और हरियाणा के स्कूलों को उनके लिए 100 रुपये प्रतिवर्ष देते हुए वितान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिये जाने के लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए गंभीर खतरे के बढ़ावर और स्थायी समाधान की जरूरत है।

प्रतिबंध की अवहेलना करने पर परिवारों को उनके लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां की जरूरत है कि इसके

प्रदूषण के पहले शिकायत सबसे पहले किसान और उनके परिवार ही हैं, दिल्ली तो इनके खेतों से कोसों तूर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों के लिए

